FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान रहीस बनाम सरकार जरिये एस.एच.ओ. एमआईए अलवर

किस्म मुकदमा **प्रा0 पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट**

प्रा0 प0 15/109/2024 दायर दिनांकः— 07.10.2024

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.10.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन के संबंध में मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 3492 दिनांक 13.10.2024 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्ररकण में जप्तशुदा वाहन से अनुसंधान हो चुका है, वाहन छोड दिया जाये तो कोई आपत्ति नही है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/— (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द—बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। थानाधिकारी एमआईए अलवर को जब्तशुदा वाहन आईसर कम्पनी ट्रक रजि० संख्या एच.आर. —55—ए.पी.—2681 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। जिला कलक्टर अलवर (राज0)	